बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्र संख्या–12 / वि0–151 / 2025 -1322 पटना, दिनांक– 4.9.25

संवेदक चन्द्रकेत कुमार सिंह (सूचीबद्धता संख्या–1977 / 2019) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के कार्यालय आदेश संख्या–68 सह–पठित ज्ञापांक–2392, दि0–08.05.2025 के द्वारा किये गये डिबार के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–01.09.2025 के सुनवाई के संबंध में।

आदेश

01.09.2025

संवेदक चन्द्रकेत कुमार सिंह, Vill-Manlyar, Post-Mohammadipur, P.S-Mohiuddinagar Dist.-Samastipur एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर सुनवाई में उपस्थित।

प्रस्तुत मामला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अंतर्गत संवेदक संवेदक चन्द्रकेत कुमार सिंह (सूचीबद्धता संख्या–1977 / 2019) को एकरारनामा संख्या-SBD-246/2019-20 एवं SBD-247/2019-20 के तहत योजनाओं का अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधी आवंटित कार्य सम्यक रूप से नहीं करने के कारण लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के कार्यालय आदेश संख्या–68 सह–पठित ज्ञापांक–2392, दि0–08.05.2025 के द्वारा अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के विरूद्ध संवेदक द्वारा डिबार मुक्त करने हेतु अपील दायर करने से संबंधित है।

संवेदक के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अंतर्गत उक्त एकरारनामा के तहत आवंटित कार्य पूर्ण करने के उपरांत डिबार से मुक्त करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा के प्रतिवेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर का पत्रांक–982 दि0–21.08.25 के द्वारा संवेदक को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि एकरारनामा में विहित शर्तों के तहत योजना संबंधी कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं करने एवं कतिपय निदेशों के बावजूद भी संवेदक के द्वारा संपोषण एवं मरम्मति कार्य में अभिरूची नहीं लेने के कारण संवेदक को डिबार किया गया था। तत्पश्चात, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डिबार करने के बाद संवेदक द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य किया गया है।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के कार्यालय आदेश संख्या–68 सह–पठित ज्ञापांक–2392, दि0–08.05.2025 द्वारा संवेदक चन्द्रकेत कुमार सिंह (सूचीबद्धता संख्या–1977 / 2019) को निविदा में भाग लेने से डिबार करने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त (Set Aside) किया जाता है ।

ह0 / –

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक–12 / वि0–151 / 2025– 1322 पटना, दिनांक– 4.9.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–151 / 2025– 1322 पटना, दिनांक– 4.9.25

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12 / वि0–151 / 2025– 1322 पटना, दिनांक– 4.9.25

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शिवहर / संवेदक चन्द्रकेत कुमार सिंह, Vill-Manlyar, Post-Mohammadipur, P.S-Mohiuddinagar Dist.-Samastipur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–151 / 2025– 1322 पटना, दिनांक– 4.9.25

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)